

अंचल अधिकारी Prakash का कार्यालय

बाद संख्या- 732/16-17

बाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के आदेश-2074/रा. दिनांक-13.08.2016 सहित श्री मनुज मुखर्जी निदेशक, भू-सूचना-साह-विशेष, बिहार सरकार, सुधार विभाग का पत्र संख्या-खा0म0निदि-10/85/2300/रा. दिनांक-09.12.2016 एवं सह-पत्रित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा. दिनांक-09.12.1998 के निहित निदेश के अनुपालन में गैरजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरण की भूमि :-

मौजा- खिरासा थाना- खिरासा, खाता संख्या- 190, पट्टी संख्या- 480, सतह 0-12 A, पट्टी की भूमि का गैरजरूआ खास जमाबंदी बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसका जमाबंदी उक्त मौजा के पट्टी-1 के जिल्द संख्या- 4 के पृष्ठ संख्या- 828, पर जमाबंदी रयत बिनाम देण मोखम के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरण की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त जामबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के अर्थात् अर्थात् जमी के आधार पर/ अवैध के तौर बंदोबस्ती के आधार पर/ अर्थात् लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरण की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना बांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रयत को अर्थात् निर्गत तः उपर्युक्त भू-सा, संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद को मांग करे तथा उनको कारण-पृष्ठ करे, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-..... को उपररूपावित करें।

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

732

732/14-17


तिथि	पंचायिकाशी आवेश	अभ्युक्ति
------	-----------------	-----------

21/11/20

अभिलेख उपस्थापित।

उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा०, दिनांक-18.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक- 18/12/20 को उपस्थापित करें।


  
अंचल अधिकारी,  
निरसा।

15/12/20

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तागिला प्राप्त। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में केवाला दलील, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद, फॉर्म M, लगान-रसीद, दिनांक 01.01.1946 के पूर्व का निबंधित दरस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित किया गया है/नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर संबंधित भूमि का हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक- 02/01/21 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
निरसा।

02/01/21


अभिलेख उपस्थापित।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1704/रा०, दिनांक-15.07.2020 एवं विभागीय संकल्प सं०-6144/रा., दिनांक-21.12.2017 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमबांदी नियमितीकरण/रद्द



करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलाप कर  
 जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-विशेष  
 मौजा नं०-252, खाता सं०-190, प्लॉट सं०-480, रकबा-12 500  
 गत् सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद खाते की भूमि है। उपरोक्त भूमि शहरी  
 क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। उक्त भूमि शासकीय परिसरों/संस्थानों के आस-पास  
 150 मीटर के अन्तर्गत आता है तथा राजपथ/उच्चपथ/मुख्यमार्ग के 150-150  
 मीटर के अन्तर्गत पड़ता है। फलतः उक्त भूमि का जमाबंदी नियमितीकरण नहीं  
 की जा सकती है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा  
 अवैध जमाबंदीदार रैयत विजय-शुक्ला गोस्वामी के नाम से पंजी-II में  
 कायम जमाबंदी संख्या-828 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा  
 के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के  
 तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-828 को रद्द करने हेतु अनुशंसा  
 के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर  
 समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

  
 अंचल अधिकारी,  
 जिरसा।